

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
11/34/2016

प्रवेश तिथि
30-08-2016

निर्णय दिनांक
15-03-2018

1-राजेश कुमार जैन पुत्र श्री रामजीलाल जैन उम्र करीब 43 साल निवासी कस्बा रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0

बनाम

1-तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज0



अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 24.06.2016 नामान्तकरण संख्या 805 ग्राम रामगढ़, तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0

उपस्थित:-

01. श्री जगदीश चन्द सतीजा

-वकील अपीलान्तस

—:: निर्णय ::—

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 24.06.2016 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 805 ग्राम रामगढ़, तहसील रामगढ़ जिला अलवर बेजा तौर पर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्त के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 1बीघा हाल नम्बर 465 रकबा 0.25 है0 में से 13बिस्वा अर्थात लगभग 15ऐयर में से 1/3 हिस्सा वाके ग्राम रामगढ़ अपीलान्त के खातेदारी की आराजी थी जिस आराजी को अपीलान्त ने तहसीलदार, रामगढ़ द्वारा दिनांक 13.12.1995 को कृषि भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया गया। तभी से उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 09.03.2016 को संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक इंतकाल की कार्यवाही की रिपोर्ट की गई, जिसका मिलान कानूनगो द्वारा किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ द्वारा इंतकाल संख्या 804 को दिनांक 24.06.2016 को अस्वीकृत कर दिया कि वर्णित आदेश बंदोबस्त से पूर्व का है। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 19.08.2016 को हुई। तत्पश्चात प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 22.08.2016 को प्राप्त हुई। दफा 05 मियाद अधिनियम को प्रार्थना-प्रत्र अलग से प्रस्तुत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संपरिवर्तन आदेश की पालना की जाकर कृषि भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उक्त आदेश बिना अपीलान्त को सुने पारित किया गया है। अतः तहसीलदार, रामगढ़ का आदेश 24.06.2016 निरस्त किया जाकर, संपरिवर्तन आदेश की पालना में इंतकाल स्वीकार करने की आज्ञा फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्त ने यह अपील आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरुद्ध दिनांक 30.08.2016 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब दो माह विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है, अपील अपीलान्त ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी का इंतकाल जो पटवारी द्वारा दर्ज कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का अंकन किया था, को स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया जाना है। रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 08.11.2017 से स्पष्ट है कि बदोबस्त से पूर्व व बदोबस्त के पश्चात् संपरिवर्तन की गई आराजी के रकबे में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, रामगढ़ उक्त आराजी पर औद्योगिक कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार, रामगढ़ को इंतकाल का निर्णय करने से पूर्व उक्त सभी बिन्दुओं पर ध्यान देकर निर्णय पारित करना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार, रामगढ़ द्वारा उक्त संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया गया। तहसीलदार, रामगढ़ का आदेश दिनांक 24.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पुनः इंतकाल का निर्णय नियमों की रोशनी में किया जाना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।
निर्णय आज दिनांक 15-03-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान) (प्रथम)
अलवर (राज.)